

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2018

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के 152 अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मै फीनिक्स अपेरेल्स सोर्सिंग, न. 18, ईस्ट स्ट्रीट, रायपुरम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निकट, तिरुपुर-641601 और श्री अमित थापर, प्रोपराइटर, मै देव इंटरनेशनल,	सी. न. VIII/48/60/ 2018 Export Assmt दिनांक 24.01.2018, सी. न. VIII/48/60/ 2018 Exp Ass दिनांक 18.06.2018 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, देवनहल्ली, बेंगलोर.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, न्यू हार्बोर एस्टेट, बीच रोड, तूतीकोरिन. (तालिका के क्रम स. 1 से 6 के लिए)
2	223, ली स्ट्रीट, महलक्षी गार्डन, 15, वेलंपलायम, तिरुपुर-641652	सी. न. VIII/10/45/ 2017- Adjn. दिनांक 05.02.2018, दिनांक 04.05.2018 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय. (कारण बताओ नोटिस न. 01/2018)	अपर आयुक्त सीमाशुल्क, न्यू हार्बोर एस्टेट, बीच रोड, तूतीकोरिन.	
3		फाइल न. S30/01/ 2018- DBK (Air) दिनांक 03.02.2018, दिनांक 24.05.2018 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	अपर आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मीनाम्बक्कम, चेन्नई.	
4		फा. स. SIIB/DRI/02/ 2018-Cus दिनांक 30.01.2018, दिनांक 11.05.2018 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, विल्लिंगडन आइलैंड, कोचीन.	

5		फा. स. S.Misc.11/ 2018-EDC दिनांक 07.02.2018, दिनांक 26.06.2018 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई.	
6		फा. स. S.Misc.11/ 2018-EDC दिनांक 07.02.2018, दिनांक 26.06.2018 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई.	
7.	मै टाइटेन कंपनी लिमिटेड, न. 3, सिपकोट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, होसुर, तमिलनाडु-635126 व्यवसायिक कार्यालय: न. 132/133, दिव्यश्री टेकनोपोलिस, यमलूर मैन रोड, बेंगलूर-560037 और 2 अन्य.	फा. स. DRI/BZU/ S-IV/Enq-23/Int-Nil/2017 दिनांक 25.06.2018 (एससीएन न. 24/2018-DRI(BZU))	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट और एयर कार्गो कस्टमस, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलूर. आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-VII) एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, चेन्नई	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयरपोर्ट और एयर कार्गो कस्टमस, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलूर.
8.	मै कान्सैप्टस ग्लोबल इंपेक्ष, 32, पहला तल नेहरू सिधान्त केंद्र, फिरोज गांधी मार्केट, लुधियाना और 2 अन्य.	डीआरआई फा. स. DZU/Enq-23/ 65/2016 दिनांक 24.04.2017.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली. आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), इनलैंड कंटेनर डिपो-जीआरएफएल, सहनेवाल, लुधियाना के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क.	आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), इनलैंड कंटेनर डिपो-जीआरएफएल, सहनेवाल, लुधियाना के कार्यालय मे संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क.

फा. स. DRI/HQ-CI/50D/CAA-9/2018-CI]

(शैलेश कुमार)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय बेंगलूर, चेन्नई और दिल्ली।
4. तालिका के स्तंभ (2) वर्णित नोटिसी।